ई मेल

अति महत्वपूर्ण

संख्या–एम–165/नौ–9–2015–113आरए

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 09 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2015

विषय :–नगर विकास विभाग द्वारा जनहित के दृष्टिकोण से संचालित योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष भूमि उपलब्ध कराने/ भूमि विवाद का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि नगर विकास विभाग द्वारा जनहित के दृष्टिकोण से संचालित अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष भूमि उपलब्ध न होने/ भूमि विवाद के कारण जनता को सीधे लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं चिन्ताजनक है।

2. अतः प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रदेश की नागर निकायों में भूमि विवाद के प्रकरण का समय से निस्तारण कराते हुये अपेक्षित भूमि की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। यदि नागर निकायों में भूमि का कोई विवाद है तो उसका व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुये तत्काल समाधान करायें अथवा अन्यत्र कहीं उपलब्ध भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें ताकि परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि एवं उसके सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यो का समय से निष्पादन हो सके।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

.....2

संख्या –एम0–165(1)/नौ–9–2015,तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव,मा0मंत्री जी,नगर विकास विभाग,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक,स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0)
6. वेब मास्टर,नगर विकास को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।